9

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/एल०–189/2025– **/स्वा०, पटना, दिनांक–**

डा0 अमरजीत कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहादुरपुर, दरभंगा के दिनांक–14.10.2020 से 03.05.2021 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1911(25), दिनांक–18.09.2026 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम–230 एवं 236 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :–

(i)	दिनांक–14.10.2020 से 15.10.2020 तक	–	उपार्जित अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक–16.10.2020 से 03.05.2021 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/एल०–189/2025– 26092 **पटना, दिनांक** 21/1/**2026**

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहादुरपुर, दरभंगा /जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/डा0 अमरजीत कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहादुरपुर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।